भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3933

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः डिजिटल फसल सर्वेक्षण

3933. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री आलोक शर्माः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री अरुण गोविल:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती अपराजिता सारंगी
श्री खगेन मुर्मुः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने की योजना के उद्देश्य से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्र किए गए आकड़ों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है ताकि दोहराव अथवा त्रुटियों को रोका जा सके;

(ग) फार्मों और डिजिटल ग्राउंड के व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए कौन-कौन से विशेष सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) उपयोग की गई डिजिटल प्रणाली या किसानों के आंकडों के प्रबंधन की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) पहचान की चोरी या किसानों के अभिलेखों में हेराफेरी जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए क्या प्रणालियां मौजूद हैं;

(च) क्या सरकार किसानों को डिजिटल उपकरण टूल जैसे कि स्मार्ट फोन अथवा डिजिट एग्रीकल्चर मिशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इंटरनेट एक्सेस जैसी

सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा यह किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है कि महिला किसानों की डिजिटल किसान पहचान पत्र तक समान पहुंच हो; और

(ज) क्या सीधी संसदीय क्षेत्र के किसानों को उक्त अभियान में जोड़ा जा रहा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) प्रणाली की स्थापना मोबाइल इंटरफ़ेस के माध्यम से बोई गई फसल की जानकारी एकत्र करने के लिए की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा सीधे खेत से लिया गया है। यह डेटाबेस प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए सटीक, वास्तविक समय की फसल क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है, जो सटीक उत्पादन अनुमान लगाने में मदद करेगा।

(ग) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और देश के अन्य आईटी कानूनों के अनुसार एग्री स्टैक विकसित किया है। एग्रीस्टैक, किसानों के डेटा की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करके कि किसानों का डेटा केवल उनकी सहमति से ही एकत्र किया जाता है। किसानों का अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण होता है, जिसे केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उनकी सहमति के आधार पर अधिकृत संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एग्री स्टैक को संघीय तरीके से विकसित किया गया है ताकि राज्यों का पूरे डेटा पर नियंत्रण हो। भारत सरकार एग्री स्टैक में मजबूत डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) के साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करती है। एग्री स्टैक किसानों की जानकारी एक गुप्त कोड में भेजता है ताकि केवल निर्दिष्ट सिस्टम ही इसे पढ़ सके। सुरक्षित एपीआई और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण सभी डेटा एक्सचेंजों को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुँच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार इन सभी आईटी प्रणालियों का सुरक्षा ऑडिट करती है और जोखिमों की निगरानी करती है।

(च): हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ी है, लेकिन जिन किसानों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं, उनके डिजिटल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं, वे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि सखियों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसे मौजूदा सहायता संरचनाओं का उपयोग करके एग्रीस्टैक पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और सेवाओं और लाभों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य शिविरों का आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई भी किसान एग्रीस्टैक का लाभ पाने से वंचित न रहे। सरकार मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

(छ) एवं (ज): डिजिटल कृषि मिशन के तहत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भूमि धारक किसान शामिल हैं। किसान रजिस्ट्री एप्लीकेशन में किरायेदार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। राज्य अपनी नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है।

*****